

29/8/07
11/11/08

आदेश

अपीलावर्षी मी दिशाटी मामला मी
निमानपत्र वाच नं. 17/02-03 मे दिनांक
29/7/03 को पाठित आदेश 3 दिष्ट
ये अपील आवेदन दाखिल किया है।
अपीलावर्षी के अंतर्गत निम्न मा. मे
अपीलावर्षी की अग्रपस्थिति में 40% लाभ
मा. अंतर्गत का आदेश पाठित कर
दिया गया है अर्थात् मा. 7 की नोटीस
का भी वाकिल 14 दिनांक है ये मामला
समाप्त ~~का~~ दाखिल किया गया था अपीलावर्षी

आदेश की
काम-सूचना
और तारीख
१

आदेश और पदाधिकारी का इस्तेमाल

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे
में लिखनी, तारीख के साथ।

२

३

उनके द्वारा तत्कालीन पत्र लिख कर
किसे निगामी धारा में समाप्त कर कालीन
गामी की नीति में उसी प्रकार की ध
गामी यह बात ही भी ४ का १६।
इसका पीछे निगामी पदा ३११ १६।
किता गमा है। इस यह आदेश लक्ष्मी
रहू कले योग्य है।

निम्न - आ के आदेश का इलाका
विभाग निम्न आ ३ यह उपलब्ध होकर
किता ४ ३ देनात अनुपस्थित है कि
भी ५०७ राशि जमा कले तब किसे
के लक्ष में पुनर्गत कले का आदेश
रे दिना गमा।

यथासंभव ही निम्न आ ३ का
आदेश सुविधुपे विवादी पदा है कि
निम्न आ ३ का कोई लेख आदेश पाकि
१६। वारा पाकि जो उपस्थित भी ध
आदि का देनात के किसे के विषय है।
यदि कले का अनुपस्थित तथा विधि-
के तहत आवश्यक हो तो भी उसी परिधि-
की अनुपस्थित कले पाकि पागो
इस आदेश में १६। है।
इतः प्रविष्टि के निम्न आ ३
यह आदेश रवाना कले योग्य प्रतीत
करा है।

आदेश की
काम-सूची
और शारीर

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पत्र की प्रतियाँ तैयार की गई
में सिविली, का० सं० के साथ।

उपरोक्त पारिश्रित में निम्न आर के
दि० 29/7/03 के आदेश को रद्द किया
जाता है तथा अग्रे उक्त
के निम्न आर को मान्य माना
जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि अब
यह मामला सूरी जिला के सचिव रजिस्ट्रार
के सूरी उपजुक्त के मामला
नीलाम पत्र पदा को प्रतिप्रति रक्त
अभिलेख भेजा जाए (उक्त पदा
आदेश तथा प्रतिप्रति की उक्त
लिखित रूप में दी जाए।

[Signature]
11/1/08

21/5/2008
24.10.08